

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4437] No. 4437] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

का.आ.5649(अ).—तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु तटीय जलकृषि प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए नियुक्त करती है:-

(1)

(क) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

निदेशक,

- सदस्य

केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान,

चेन्नई।

तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(ख) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

डॉ जी धरिनी.

- सदस्य

वैज्ञानिक 'एफ', राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान,

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,

नेन्नई।

तटीय पारिस्थिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(ग) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

श्री डब्ल्यू. भरत सिंह,

- सदस्य

वैज्ञानिक – एफ/अतिरिक्त निदेशक,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

6549 GI/2018

पर्यावरण सरंक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ

(घ) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), - सदस्य पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली । पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित।

(इ.) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य:

संयुक्त सचिव (ई.पी.–एम.पी.), - सदस्य वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली । वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित ।

(च) धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

 (i)
 सचिव (माित्स्यकी), गुजरात सरकार
 - सदस्य

 (ii)
 सचिव (माित्स्यकी), महाराष्ट्र सरकार
 - सदस्य

 (iii)
 सचिव (माित्स्यकी), तिमिलनाडु सरकार
 - सदस्य

 (iv)
 सचिव (माित्स्यकी), पश्चिम बंगाल सरकार
 - सदस्य

[फा. सं. 33036/6/2008-मा.(टी-2)] डॉ॰ जे॰ बालाजी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

S.O.5649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the following members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette:-

(a) Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 4:

Director, - Member

Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA),

Chennai.

Expert in the field of coastal aquaculture.

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(b) Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. G. Dharini,

-Member

Scientist "F",

National Institute of Ocean Technology (NIOT),

Ministry of Earth Sciences,

Chennai.

Expert in the field of coastal ecology.

(c) Member appointed under clause (d) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. W. Bharat Singh,

-Member

Scientist-F/Additional Director.

Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Expert in the field of environment protection.

(d) Member appointed under clause (e) of sub-section (3) of Section 4:

Joint Secretary (Fisheries),

-Member

Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries,

Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, New Delhi.

Nominated by Department of Animal Husbandry,

Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

(e) Member appointed under clause (f) of sub-section (3) of Section 4:

Joint Secretary (EP-MP),

-Member

Department of Commerce,

Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.

Nominated by Department of Commerce,

Ministry of Commerce and Industry

(f) Representatives of Coastal states and union territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4:

(i) Secretary (Fisheries), Government of Gujarat -Member
 (ii) Secretary (Fisheries), Government of Maharashtra -Member
 (iii) Secretary (Fisheries), Government of Tamil Nadu -Member
 (iv) Secretary (Fisheries), Government of West Bengal -Member

[F.No.33036/6/2008-Fy(T-2)] DR. J. BALAJI, Jt. Secy.